महत्वपूर्ण एवं खास

सांप के काटने पर बिना देर किए नजदीकी स्वास्थ्य केन्द्र में कराएं इलाज

रायगढ़। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. अनिल कुमार जगत ने जनसामान्य को सर्पदंश के मामलों में विशेष सर्तकता बरतने हेतु सलाह दी है। उन्होंने कहा कि यदि किसी व्यक्ति को सर्पदंश होता है तो तुरंत ही स्वास्थ्य केंद्र में इलाज हेतु पहुचाएं क्योंकि देर होने पर शरीर में जहर फैलने लग जाता है जिससे गंभीर स्थिति निर्मित होती है। साथ ही झाड़-फूंक में समय व्यतीत न करें। और समय रहते अपना इलाज कराकर जीवन बचायें। सीएमएचओ ने बताया कि बदलते मौसम में सर्पदंश के प्रकरण अधिकांश पाये जाते है जिसमें सर्पदंश को लेकर अक्सर लोग जड़ी बूटी या झाड़-फूंक में ज्यादा यकीन रखते है और ऐलोपैथिक इलाज करने से कतराते है जिससे समय पर उचित इलाज न मिलने से जीवित रहने की उम्मीद कम हो जाती है। सर्वाधिक मामले विकासखंड लैलूंगा,धरमजयगढ़, घरघोड़ा और तमनार में आते हैं और यहां के लोग ज्यादातर झाड़-फूंक के चक्कर में समय व्यतीत करते है। इसे ध्यान में रखते हुए समस्त खंंाड चिकित्सा अधिकारियों को अपने अधीनस्थ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र व समस्त स्वास्थ्य केन्द्रों के चिकित्सको को सर्पदंश के इलाज हेतु एन्टी स्नेक वेनम एवं अन्य जरूरी संपूर्ण व्यवस्था उपलब्ध कराए जाने के निर्देश दिये गये साथ ही स्वास्थ्य विभाग एवं मितानिन के माध्यम से विकासखंड में प्रचार-प्रसार कराया जा रहा है।

राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों का तबादला

रायपुर (आरएनएस)। छत्तीसगढ़ शासन के सामान्य प्रशासन विभाग ने 13 मई 2025 को प्रशासनिक फेरबदल करते हुए राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के तबादले के आदेश जारी किए हैं। आदेश के तहत 18 अधिकारियों को नवीन पदस्थापना दी गई है। इन सभी अधिकारियों को कलेक्टर कार्यालय में डिप्टी कलेक्टर के पद पर पदोन्नत कर पदस्थ किया गया है। इन अधिकारियों को वेतन मैट्रिक्स के लेवल-12 (56,100 -1,77,500) के अंतर्गत यह जिम्मेदारी दी गई है और उन्हें चार स्तरीय वेतनमान के अनुसार पदोन्नति दी गई है।

मकान रजिस्ट्री के नाम पर लाखों रूपए की धोखाधड़ी, जुर्म दर्ज

रायपुर (आरएनएस)। मकान रजिस्ट्री कराने के नाम पर 95 लाख की फर्जी चेक देने का मामला प्रकाश में आया है। प्रार्थी की शिकायत पर डीडीनगर पुलिस ने दो लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी का अपराध दर्ज किया है। मिली जानकारी के अनुसार प्रार्थी प्रकाश चंद जायसवाल 59 वर्ष समता कालोनी आजाद चौक का रहने वाला है। प्रार्थी पेशे से बिल्डर है। बताया जाता है कि प्रार्थी ने आरोपी बंटी रस्तोगी एवं मोहनीस श्रीवास्तव को जमीन बेचा था। जिसकी रजिस्ट्री के समय आरोपियों ने प्रार्थी को 95 लाख का फर्जी चेक देकर धोखाधड़ी किया। प्रार्थी की शिकायत पर डीडीनगर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ अपराध दर्ज कर जांच में लिया है।

आकाशीय बिजली के चपेट में आने से तीन बच्चे घायल

कोरबा (आरएनएस)। जिले के कुरूडीह गांव में एक बार फिर आकाशीय बिजली ने तबाही मचाई है। गांव के पास तालाब के किनारे घूमने गए तीन बच्चे अचानक गिरी बिजली की चपेट में आ गए। इस हादसे में मनीष कश्यप (14 वर्ष) और लोकेश कुमार कर्ष (13 वर्ष) गंभीर रूप से झुलस गए, जबकि उनका एक अन्य साथी बेहोश हो गया। घटना के समय क्षेत्र में तेज बारिश और गरज-चमक हो रही थी। कुछ समय बाद एक बच्चे को होश आया और वह किसी तरह घर पहुंचा और परिजनों को घटना की सूचना दी। इसके बाद 112 की मदद से घायलों को तत्काल जिला मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, जहां दो बच्चों की हालत गंभीर बनी हुई है।

समय पर राशन वितरण नहीं करने और राशन दुकान संचालन में गड़बड़ी पर त्वरित और सख्त कार्यवाई करने कलेक्टर ने दिए निर्देश

- शत प्रतिशत गर्भवती महिलाओं को करें चिन्हांकित-कलेक्टर मयंक चतुर्वेदी
- कलेक्टर चतुर्वेदी ने ली साप्ताहिक समय-सीमा की बैठक

रायगढ़

कलेक्टर मयंक चतुर्वेदी ने आज समय-सीमा की बैठक में महिला बाल विकास और मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी को अगले 2 सप्ताह में जिले में शत प्रतिशत गर्भवती महिलाओं के चिन्हांकन का काम मिशन मोड में करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि महिलाओं के स्वास्थ्य सुरक्षा की दृष्टि से गर्भवती महिलाओं की जानकारी विभागों के पास होनी चाहिए। जिससे उन्हें स्वास्थ जांच और गर्भावस्था के विभिन्न चरणों के अनुसार खानपान के लिए जानकारी के साथ ही उनके स्वास्थ्य की मॉनिटरिंग की जा सकेगी। इससे संस्थागत प्रसव के साथ ही होने वाले बच्चे को कुपोषण से मुक्त रखने में सहायता मिलेगी। उन्होंने दोनों विभागों के अमले को यह काम पूरी गंभीरता और जिम्मेदारी के साथ पूरा करने के निर्देश दिए।

कलेक्टर चतुर्वेदी ने समय-सीमा की बैठक में विभागीय काम-काज की समीक्षा की विस्तार से समीक्षा की। उन्होंने विभिन्न जनसमस्या निवारण पोर्टल्स में लंबित आवेदनों पर संबंधित अधिकारियों से कारण जाना। कलेक्टर चतुर्वेदी ने कहा कि विभागीय अधिकारी स्वयं नियमित रूप से अपनी आईडी पर आने वाले आवेदनों का संज्ञान लेते हुए उसके निराकरण के लिए त्वरित पहल करेंगे। इसमें लेट लतीफी में काम में लापरवाही मानी जाएगी।

कलेक्टर चतुर्वेदी ने राशन दुकानों से राशन नहीं मिलने अथवा राशन दुकान के सही संचालन नहीं होने की दशा में संबंधित संचालक पर त्वरित और कठोर कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी एसडीएम और खाद्य अधिकारी से कहा कि लोगों को राशन नहीं मिलने की शिकायतें अत्यंत गंभीर हैं, इस प्रकार की शिकायतों की तुरंत जांच करवाकर उचित कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

कलेक्टर चतुर्वेदी ने हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने के लिए की जा रही कार्यवाही पर जिला परिवहन अधिकारी से जानकारी ली। उन्होंने कहा कि लोगों में इसके लिए जागरूकता बढ़ाने के लिए कार्य करें। परिवहन और यातायात विभाग द्वारा संयुक्त रूप से इस दिशा में कार्य किया जाए। नंबर प्लेट लगाने के लिए कैंप लगाएं। यह अत्यंत महत्वपूर्ण और प्राथमिकता का कार्य है। कलेक्टर चतुर्वेदी ने समाज कल्याण विभाग को कृत्रिम पैर की आवश्यकता वाले दिव्यागजनों की जानकारी एकत्र करने के निर्देश दिए। रायगढ़ जिले में निर्माण कार्यों की मॉनिटरिंग के लिए ऑनलाइन पोर्टल तैयार किया गया है। निर्माण से जुड़े सभी अधिकारियों को इस पोर्टल के संचालन और उसमें नियमित रूप से जानकारी अपडेट करने के निर्देश बैठक में कलेक्टर चतुर्वेदी ने दिए। आगामी वृक्षारोपण के लिए विभागीय तैयारियों को लेकर भी दिशा-निर्देश दिए गए। कलेक्टर चतुर्वेदी ने सिंचाई विभाग के अधिकारियों से कहा कि केलो परियोजना का काम तेजी से पूरा करें। नहर मार्ग में आवश्यक पुलिया व अन्य स्ट्रक्चर का निर्माण भी प्राथमिकता से किया जाना है। विभागीय अधिकारी नियमित रूप से फील्ड पर काम की मॉनिटरिंग करें।

बैठक में सीईओ जिला पंचायत जितेन्द्र यादव, अपर कलेक्टर रवि राही, अपर कलेक्टर अपूर्व प्रियेश टोप्पो, आयुक्त नगर निगम बृजेश सिंह क्षत्रिय, संयुक्त कलेक्टर राकेश कुमार गोलछा सहित समस्त विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।

तरबूज के विवाद में हत्या: लैलूंगा पुलिस ने 24 घंटे में आरोपी को गिरफ्तार कर भेजा रिमांड पर

रायगढ़

लैलूंगा थाना क्षेत्र के ग्राम बरखोरिया करमानाचा बाघडिपा में तरबूज बाड़ी में फसल को नुकसान पहुंचाने के विवाद में युवक ने ग्रामीण की हत्या कर दी। जानकारी के मुताबिक 11 मई की शाम गांव के ही विजय माझी (36 वर्ष) ने गांव के बाहर 60 वर्षीय सहदेव मांझी की लोहे के सब्बल से हत्या कर दी। मृतक के बेटे तेजराम माझी को उसकी मां ने फोन कर घटना की जानकारी दी, जिसके बाद उसने मौके पर पहुंचकर पिता की लाश देखी और पुलिस को सूचना दी।

12 मई को लैलूंगा पुलिस को शव मिलने की सूचना मिली थी, जिस पर उप निरीक्षक इगेश्वर यादव, चंदन नेताम के नेतृत्व में टीम मौके पर पहुंची। जांच में मृतक की पहचान सहदेव मांझी के रूप में हुई। पीड़ित के बेटे के बयान के आधार पर पुलिस ने आरोपी विजय माझी के खिलाफ अपराध क्रमांक 124/2025 के तहत भारतीय दंड संहिता की धारा 103(1) बीएनएस के अंतर्गत हत्या का मामला दर्ज कर त्वरित कार्रवाई करते हुए उसे हिरासत में ले लिया। पूछताछ में विजय ने अपना अपराध स्वीकारते हुए बताया कि उसके बाड़ी में लगे तरबूजों को नुकसान पहुंचाने के विवाद पर उसने लोहे के सब्बल (राड) से सहदेव पर हमला किया, जिससे उसकी मौत हो गई।

आरोपी के मेमोरेंडम के आधार पर हत्या में प्रयुक्त सब्बल, खून से सने कपड़े और अन्य साक्ष्य बरामद किए गए हैं। विजय माझी पिता सुखसाय माझी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है। संपूर्ण कार्रवाई में लैलूंगा थाना प्रभारी उप निरीक्षक इगेश्वर यादव, सहायक उप निरीक्षक चंदन नेताम, प्रधान आरक्षक नंद कुमार पैंकरा, आरक्षक संत निषाद और सुरेश मिंज की अहम भूमिका रही।

रेलवे लाइन से तांबा तार चोरी: घरघोड़ा पुलिस ने दो नाबालिग समेत चार आरोपियों को पकड़ा, चोरी की संपत्ति बरामद

रायगढ़

घरघोड़ा थाना पुलिस ने खरसिया-धरमजयगढ़ रेल्वे लाइन से तांबा तार चोरी के मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनमें दो नाबालिग विधि से संघर्षरत बालक भी शामिल हैं। आरोपियों के कब्जे से लगभग 74 मीटर तांबा तार, जिसकी कीमत करीब रु.35,000 बरामद की गई है। साथ ही चोरी में प्रयुक्त तीन कुल्हाड़ी और एक आरीपत्ती भी जब्त की गई है। सभी आरोपियों को न्यायालय में पेश कर रिमांड पर भेज दिया गया है।

घटना की शिकायत 12 मई को सतीश कुल्लु ने की थी, जो जसबीर सिंह कबेरवाल सेक्योरिटी एजेंसी के माध्यम से छत्तीसगढ़ ईस्ट रेल्वे लिमिटेड में सुपरवाइजर के पद पर कार्यरत हैं। उन्होंने बताया कि 9 मई की रात 10 बजे से 10 मई की सुबह 6 बजे के बीच अज्ञात चोरों ने रेलवे पोल नंबर 69/01 से G10/01 के बीच की 100 मीटर विद्युत प्रवाहित तांबा तार चोरी कर ली है। मामले की गंभीरता को देखते हुए घरघोड़ा पुलिस ने अपराध क्रमांक 116/2025 धारा 303(2) बीएनएस के तहत मामला दर्ज कर तफ्तीश शुरू की।

पुलिस अधीक्षक दिव्यांग पटेल के निर्देशन और एसडीओपी धरमजयगढ़ सिद्धांत तिवारी के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी हर्षवर्धन सिंह बैस के नेतृत्व में टीम ने सक्रिय मुखबिरों की मदद से वसीम खान (32 वर्ष) निवासी वार्ड क्रमांक 2 घरघोड़ा और विनोद कुमार भुइँया (35 वर्ष) वार्ड क्रमांक एक कसैया घरघोड़ा को हिरासत में लिया। पूछताछ में दोनों ने जुर्म कबूलते हुए बताया कि उन्होंने तीन अन्य लड़कों के साथ मिलकर चोरी की थी, जिनमें दो नाबालिग भी शामिल हैं। नाबालिगों को भी तलब कर पूछताछ की गई, जिन्होंने अपराध में संलिप्तता स्वीकार की।

आरोपियों के मेमोरेंडम के आधार पर तांबा तार और उपकरण बरामद किए गए। चूंकि आरोपियों ने एक राय होकर संगठित तरीके से अपराध को अंजाम दिया, इसलिए मामले में भारतीय न्यायतंत्र संहिता की संगठित अपराध की धारा 112(2) और 3(5) बीएनएस भी जोड़ी गई है। एक आरोपी फरार है। इस कार्रवाई में सहायक उप निरीक्षक खेमराज पटेल, प्रधान आरक्षक पारसमणी बेहरा, आरक्षक दिनेश सिदार, प्रह्लाद भगत, प्रेम राठिया, चंद्रशेखर चंद्राकर और कमलेश निराला की अहम भूमिका रही।

समाधान शिविर में हो रहा लोगों के समस्याओं का त्वरित निराकरण, मिल रहा विभागीय योजनाओं का लाभ : पात्र हितग्राहियों को विभागीय योजनाओं से किया गया लाभान्वित

- 14 मई को जिले के 05 स्थानों में प्रात: 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक आयोजित होगा समाधान शिविर

रायगढ़

सुशासन तिहार अंतर्गत जिले के विभिन्न स्थानों में समाधान शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में नगरीय निकाय अंतर्गत घरघोड़ा के माता मंदिर सामुदायिक भवन, धरमजयगढ़ के गणेश मंच रायगढ़ रोड, किरोड़ीमल नगर के कार्यालय भवन, पुसौर के संवरा पारा सामुदायिक भवन एवं खरसिया के पंडित दीनदयाल सामुदायिक भवन में समाधान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में आवेदनों के निराकरण की जानकारी प्रदान करने के साथ पात्र हितग्राहियों को विभागीय योजनाओं से लाभान्वित किया गया।

खरसिया के दीनदयाल सभा भवन में वार्ड क्रमांक 6 से 14 तक के लिए समाधान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में नगर पालिका खरसिया से संबंधित 122 आवेदनों का निराकरण किया गया। जिसमें राजस्व, लोक निर्माण, स्वास्थ्य, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, महिला एवं बाल विकास, विद्युत, पशुपालन एवं शिक्षा जैसे विभिन्न विभागों के आवेदन थे। संबंधित विभागों के अधिकारियों ने आवेदनों का निराकरण करते हुए संचालित विभागीय योजनाओं की जानकारी दी। इस दौरान शिविर में पात्र हितग्राहियों को व्हील चेयर, राशन कार्ड, आयुष्मान कार्ड, आवास पूर्णता प्रमाण-पत्र, जाति, निवास, जन्म प्रमाण-पत्र जैसे विभिन्न दस्तावेज सहित सामग्रियों का वितरण किया गया।

इस अवसर पर नगर पालिका अध्यक्ष कमल गर्ग, उपाध्यक्ष अवधनारायण सोनी, एसडीएम खरसिया डॉ.प्रियंका वर्मा, तहसीलदार खरसिया लोमश मिरी, मुख्य नगर पालिका अधिकारी खरसिया, सभी पार्षद उपस्थित थे। इसी प्रकार घरघोड़ा के माता मंदिर सामुदायिक भवन में समाधान शिविर का आयोजन किया गया था। जिसमें प्रथम चरण के कुल 120 प्राप्त आवेदनों में से 108 आवेदनों का निराकरण किया गया। मौके पर शिविर में 04 आवेदन भी प्राप्त किए गए। आयोजित शिविर में सभी विभागीय अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे।

समाधान शिविर में पात्र हितग्राही हुए लाभान्वित- जिले के किरोड़ीमल नगर कार्यालय भवन, पुसौर के संवरा पारा सामुदायिक भवन एवं धरमजयगढ़ के गणेश मंच रायगढ़ रोड में भी जनसामान्य की सुविधा के लिए समाधान शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान विभागीय अधिकारियों ने प्रथम चरण के प्राप्त आवेदनों के निराकरण की स्थिति से आवेदकों को अवगत कराया साथ ही नए आवेदन भी प्राप्त किए। अधिकारियों ने विभागों में संचालित योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी, ताकि अधिक से अधिक लोग शासन की योजनाओं से लाभान्वित हो सके। मौके पर पात्र हितग्राहियों को विभागीय योजनाओं से लाभान्वित किया गया।

14 मई को इन स्थानों पर लगेंगे समाधान शिविर- सुशासन तिहार के तीसरे चरण में 14 मई को जिले के 05 स्थानों में प्रात: 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक समाधान शिविर का आयोजन किया जाएगा। जिसमें रायगढ़ के जामगांव, खरसिया के बिलासपुर, लैलूंगा के बगुडेगा, धरमजयगढ़ के हाटी एवं रायगढ़ नगरीय निकाय अंतर्गत गौशाला पारा सामुदायिक भवन शामिल है।

अंत्योदय/आदिवासी स्वरोजगार योजना हेतु मंगाए गए आवेदन

रायगढ़

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के व्यक्तियों को स्वयं का व्यवसाय प्रारंभ करने एवं स्वरोजगार से जोडऩे हेतु छ.ग.शासन द्वारा अंत्योदय/आदिवासी स्वरोजगार योजना संचालित की जा रही है। योजना में सेवा एवं व्यवसाय क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के व्यवसाय संचालित करने हेतु ऋण आवेदन आमंत्रित किए जा रहे है।

अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के इच्छुक एवं पात्र व्यक्ति आवेदन पत्र प्राप्त करने हेतु आय, जाति, निवास प्रमाण-पत्र, राशन कार्ड एवं आधार कार्ड की छायाप्रति के साथ आवेदन कार्यालय कलेक्टर जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति, रायगढ़ कक्ष क्रमांक 94 में कार्यालयीन समय में प्राप्त एवं जमा किए जा सकते है। आवेदन में कांट-छांट, ओव्हरराईटिंग इत्यादि स्वीकार नहीं किए जायेंगे।

योजना में पात्रता एवं शर्ते-

इस योजना के लिए आवेदक अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग का हो, जाति एवं निवास प्रमाण पत्र सरपंच/पार्षद एवं आय प्रमाण-पत्र पटवारी द्वारा जारी प्रस्तुत करना होगा। आवेदक के परिवार की वार्षिक आय 1.50 लाख से अधिक न हो। आवेदक का नाम राशन कार्ड में हो, आधार कार्ड, पेन कार्ड की छायाप्रति, पूर्व में किसी योजना में लाभ नहीं लिया हो का शपथ पत्र देना होगा। आवेदक की आयु 18 वर्ष से कम तथा 50 वर्ष से अधिक न हो। योजना में बैंक द्वारा ऋण स्वीकृति पर 50 प्रतिशत या अधिकतम 10 हजार जो भी कम हो अनुदान का प्रावधान है।

लैलूंगा पुलिस की मवेशी तस्करों पर लगातार चौथी कार्रवाई

क्रूरता से मवेशी ले जा रहे दो तस्कर गिरफ्तार, 19 मवेशियों को कराया गया तस्करों के चंगुल से मुक्त

रायगढ़

लैलूंगा थाना क्षेत्र में मवेशी तस्करों के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी है। इसी क्रम में 12 मई को लैलूंगा पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर दो पशु तस्करों को रंगे हाथ पकड़ते हुए उनके कब्जे से 19 मवेशियों को क्रूरता से ले जाते हुए बरामद किया। पुलिस अधीक्षक दिव्यांग पटेल के निर्देश पर चल रही मुहिम के तहत इस महीने लैलूंगा पुलिस की यह चौथी बड़ी कार्रवाई है।

थाना प्रभारी उप निरीक्षक इगेश्वर यादव को सूचना मिली थी कि कुछ व्यक्ति ग्राम सारसमाल रोड से मवेशियों को पैदल हांकते हुए क्रूरता पूर्वक उड़ीसा स्थित बूचड़खाना ले जा रहे हैं। सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने स्वतंत्र गवाहों के साथ घेराबंदी कर नहर पुल के पास दोनों तस्करों को धर दबोचा। पकड़े गए आरोपियों की पहचान सुजीत कुमार यादव (50), निवासी सिहारधार गम्हार थाना लैलूंगा और महेत्तर भुईहर (45), निवासी होरोंगुड़ा थाना लैलूंगा, जिला रायगढ़ के रूप में हुई।

पूछताछ में दोनों ने स्वीकार किया कि वे 19 नग मवेशियों को बेचने के उद्देश्य से उड़ीसा के बूचड़खाने ले जा रहे थे। जब्त मवेशियों की कीमत करीब रु.1,90,000 है। आरोपियों के खिलाफ थाना लैलूंगा में छत्तीसगढ़ कृषि पशु परिरक्षण अधिनियम 2004 की धारा 6, 10, 11, 12 के तहत मामला दर्ज कर आरोपियों को रिमांड पर भेज दिया गया है। इस कार्रवाई में थाना प्रभारी उप निरीक्षक इगेश्वर यादव के साथ सहायक उप निरीक्षक राजेश दर्शन और आरक्षक सुमित एक्का की महत्वपूर्ण भूमिका रही। एसपी दिव्यांग पटेल और एसडीओपी धरमजयगढ़ सिद्धांत तिवारी के मार्गदर्शन में मवेशी तस्करी पर लगातार सख्त कार्रवाई की जा रही है।

जिला स्तरीय ग्रीष्मकालीन खेल प्रशिक्षण शिविर का हुआ शुभारंभ

- 11 जून तक चलेगा शिविर, 12 खेलों को किया गया शामिल
- सुबह 6 से 8 एवं सायं 4.30 से 6.30 बजे तक दो पालियों में आयोजित हो रहा शिविर, प्रशिक्षकों एवं वरिष्ठ खिलाड़ियों के द्वारा दिया जा रहा प्रशिक्षण

रायगढ़

कलेक्टर मयंक चतुर्वेदी के निर्देशन में रायगढ़ स्टेडियम बोईरदादर रायगढ़ में 30 दिवसीय जिला स्तरीय ग्रीष्मकालीन खेल प्रशिक्षण शिविर का शुभारंभ आज किया गया। जिला स्तरीय ग्रीष्मकालीन खेल प्रशिक्षण शिविर का आयोजन आगामी 11 जून 2025 तक किया जाएगा।

कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित डिप्टी कलेक्टर समीर बड़ा ने बच्चों/खिलाडिय़ों को संबोधित करते हुए कहा कि खेल शारीरिक, बौद्धिक विकास के लिए बहुत ही आवश्यक है। उन्होंने प्रत्येक व्यक्ति को किसी न किसी खेल से जुडऩे हेतु प्रेरित किया एवं अधिक से अधिक संख्या में ग्रीष्मकालीन खेल प्रशिक्षण शिविर में भाग लेकर खेल की बारीकियों को सीखने एवं उक्त प्रशिक्षण शिविर का लाभ लेने के लिए प्रेरित किया।

जिला स्तरीय ग्रीष्मकालीन खेल प्रशिक्षण शिविर अंतर्गत कुल 12 खेलों को सम्मिलित किया गया है। जिसमें बास्केटबॉल, फुटबॉल, हैण्डबॉल, ताइक्वांडो, तीरंदाजी, योगासन, टेबल टेनिस, लॉन टेनिस, बॉक्सिंग, बैडमिंटन, किकबॉक्सिंग एवं क्रिकेट खेल का प्रशिक्षण, जूनियर और सब जूनियर वर्ग के खिलाडिय़ों को दिया जाएगा। यह प्रशिक्षण शिविर दो पालियों में सुबह 6 बजे से 8 बजे एवं सायं 4:30 से 6:30 बजे तक व्यायाम शिक्षकों/जिला स्तरीय संघ एवं संस्थाओं के प्रशिक्षकों/वरिष्ठ खिलाडिय़ों द्वारा प्रशिक्षण दिया जाएगा।

इस अवसर पर जीवन लाल नायक सहायक क्रीड़ा अधिकारी शिक्षा विभाग, प्रेम किशोर प्रधान सेवानिवृत्त सहा. संचालक खेल विभाग, जीतेश्वर प्रधान व्यायाम शिक्षक, विकास रंजन सिन्हा शिक्षक, माध्यमिक शाला सराईपाली, जयकुमार यादव ताइक्वांडो प्रशिक्षक, शारदा गहलोत फुटबॉल प्रशिक्षक, अपूर्व जैन लॉन टेनिस कोच, गौरव पाहवा टेबल टेनिस कोच, संतोष गुप्ता बॉक्सिंग कोच, ईशा यादव योगा कोच आदि उपस्थित रहे।

स्वामी, मुद्रक प्रकाशक तथा संपादक सी.बी.वर्मा द्वारा न्यायसाक्षी प्रिंटर्स, प्लॉट नं. 327, वार्ड नं. 24, श्रीराम कॉलोनी स्टेडियम के पीछे रायगढ़ से मुद्रित एवं प्रकाशित फोन 07762-२21359 पी.आर.बी. अधिनियम के तहत् खबरों के चयन के लिए जिम्मेदार ई-मेल - nyaysakshi@gmail.com- www.nyaysakshi.com, RNI NO :- CHHHIN/2018/76480